स्थानीय नगर निकाय

पं दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाअभियान 2018

भारतीय जनता पार्टी

स्थानीय नगर निकाय

पं दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाअभियान 2018

भारतीय जनता पार्टी
11, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
फोन : 011-23005700, फैक्स : 011-23005787

स्थानीय नगर निकाय

© भारतीय जनता पार्टी
11, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

2018

मुद्रकः
एक्सलप्रिंट
सी-36, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स
झण्डेवालान, नई दिल्ली-110055

आमुख

सर्वाधिक सदस्य संख्या के विश्व रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। सिर्फ केन्द्र में ही नहीं, बल्कि देश के आधे से अधिक राज्यों में भी आज यह सत्ता में है। ऐसे विशाल जनादेश के साथ आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

हमारा मानना है कि पार्टी के प्रति देशवासियों का जितना अधिक भरोसा बढ़ता है उतनी ही अधिक पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि तथा नेतृत्व को भावी जिम्मेदारियाँ संभालने हेतु तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी विचार को केन्द्र में रखकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु ठोस पहल की है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात करें तो अपने शुरूआती दिनों से ही भाजपा की यह खास पहचान रही है। इससे पूर्व जनसंघ के रूप में भी कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर सदैव जोर रहा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मूल सोच यही रही है कि कैसे पार्टी में जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और किस प्रकार ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी हो जो सेवा एवं समर्पण भाव के साथ देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे।

भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को वर्ष 2015 में उस समय नया आयाम मिला जब ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान'' की शुरूआत हुई। इस अभियान की सफलता का आंकलन महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का यह दुनिया का पहला एवं सबसे बड़ा अभियान है। प्रथम चरण में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों प्रशिक्षण कार्यक्रम देशभर में आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में अब पार्टी के विभिन्न मोर्चों, विभागों एवं स्तरों पर कार्यरत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह नया आयाम है। द्वितीय चरण में स्थानीय नगर निकायों के स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की भी योजना बनी है।

नगर निगमों के रूप में स्थानीय नगर निकाय दीर्घ काल से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। भारतीय संविधान के तहत, खासतौर से 74वें संविधान संशोधन के बाद, शक्तियों एवं कर्तव्यों की दृष्टि से नगर निकाय काफी शक्तिशाली हुए हैं।

यह पुस्तिका नगर निकाय स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु तैयार की गयी है। इसमें मुख्य रूप से नगर निकायों की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका, महत्त्वपूर्ण कानूनी पहलुओं की जानकारी, निकायों के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका एवं कर्तव्य, प्रभावी प्रशासन हेतु कुछ दिशा-निर्देशों आदि से संबंधित जानकारी संकलित की गयी है। अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात तैयार की गयी इस पुस्तिका में जो जानकारी दी गयी है वह स्थानीय नगर निकाय स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं और निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके ज्ञानवर्धन एवं कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रक्रिया में इस पुस्तिका को एक शुरूआत ही मानना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि पार्टी के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह पुस्तिका सहायक सिद्ध होगी।

-पी. मुरलीधर राव
(राष्ट्रीय महासचिव)
प्रभारी, प. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

विषय सूची

भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास	7
सैद्धांतिक अधिष्ठान	18
नगर निकायों की परिकल्पना	24
पृष्ठभूमि	24
संरचना	25
गठन	26
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन	27
आरक्षण	27
कार्यकाल	28
विघटन	28
वित्तीय स्रोत	29
दायित्व और अधिकार और नगर निकायों का कार्यों का क्षेत्र	30
नगर निकायों का अधिकार क्षेत्र	30
सांविधिक प्रावधान, प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश	31
बजट	33
विशेष बजट	33
प्रशासन का प्रभावी उपयोग	34
संगठन-सत्ता समन्वय	35
शहरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाए	41
अमृत योजना	41

प्रधानमंत्री आवास योजना 41
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 42
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 42
मीडिया/सोशल मीडिया संवाद 43
नियमित संपर्क में रहें 43
पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें 44
तथ्यों पर ध्यान दें 44
डिजिटल मीडिया पर करें फोकस 45
ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत 46
शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएँ 47

भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक–दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन–युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीत राजग शासन के दौरान रखी। आज तीन दशक बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत राजग सरकार केन्द्र में विद्यमान है।

पृष्ठभूमि

हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति

उत्पन्न हुई। गाँधीजी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गाँधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। 'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांतत: दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग-थलग तो पड़े ही, साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलत: भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर, 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई।

भारतीय जनसंघ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों

पर आ गया। भारत–चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लम्बे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई।

भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय

सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन–असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देशभर में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन–असंतोष मुखर हो उठा। 1971 में देश पर भारत–पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपातकाल लगाया गया था जो युद्ध की समाप्ति के बाद भी लागू था। उसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। परिणामतः 25 जून, 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में थोप दिया गया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिये गए अथवा जेलों में डाल दिए गये। समाचार पत्रों पर 'सेंसर' लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को 'मीसा' के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जनसंघर्ष को तेज किया जाने

लगा और भूमिगत गतिविधियाँ भी तेज हो गयीं। तेज होते जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी ने 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नये जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नये राष्ट्रीय दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े तथा चुनाव में कम समय होने के कारण 'जनता पार्टी' का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा 'जनता पार्टी' एवं अन्य विपक्षी पार्टियाँ भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई, 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

भाजपा का गठन

जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। दो-ढाई वर्षों में ही अंतर्विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव-पेंच खेलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आये सदस्यों को अलग-थलग करने के लिए 'दोहरी-सदस्यता' का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियाँ उठायी जानी लगीं। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल, 1980 को एक नये संगठन 'भारतीय जनता पार्टी' की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

विचार एवं दर्शन

भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंगभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी का अन्त्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर है। पार्टी ने पाँच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पाँच सिद्धांत (पंच निष्ठा) हैं-राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता (सर्वधर्मसमभाव), गाँधीवादी समाजवाद (सामाजिक-आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य आधारित राजनीति।

उपलब्धियाँ

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर-कांग्रेसी दल एक मंच पर आये तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथयात्रा शुरू की। राम मंदिर आन्दोलन को मिले भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथयात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वी.पी. सिंह सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई 'कीर्तिमान' स्थापित हुए।

1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली, परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182

सीटों पर जीत दर्ज की और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई, जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था, जिसमें उड़ीसा के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग ने पद पर रहते हुए भी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वासमत के दौरान सरकार के विरुद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों का सामना करना पड़ा। 1999 में भाजपा 182 सीटों पर पुनः विजय मिली तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपानीत राजग की सरकार बनी।

भाजपानीत राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊँचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नयी पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ महंगाई न बढ़ने देने जैसी अनेकों उपलब्धियाँ इस सरकार के खाते में दर्ज हैं।

भारत-पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए गये। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केन्द्र में रखकर देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाये गए।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया।

वर्तमान स्थिति

आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है।

10 साल पार्टी ने विपक्ष की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज 'सबका साथ, सबका विकास' की उद्घोषणा के साथ गौरव सम्पन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गयी है।

26 मई, 2014 को श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुनःस्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया। अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नए युग की शुरुआत की। अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियाँ जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। ये नया युग है सुशासन का। चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वस्थ बनाने का

अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जन धन योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है।

भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान

- राष्ट्रीय अखण्डता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबाइली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति व पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है, अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।

- गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान। बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्यवाही की।

- बेरुबाड़ी एवं कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए चुनौती थे। भाजपा ने इस चुनौती का सामना किया।

- आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के मुद्दे उठाना, पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम भाजपा ही कर रही है।

- देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न कर भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटलजी की सरकार ने सीधा संदेश दिया।

लोकतंत्र: विकास एवं रक्षा

- प्रथम चरण में जब स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे, विपक्ष या तो था ही नहीं या राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था तब जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बन गया था।
- चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाला एकमात्र राजनीतिक दल जनसंघ या भाजपा ही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमारी पार्टी ने बल दिया और उनका उल्लंघन नहीं होने दिया।
- आपातकाल के प्रतिकार की कहानी हमारी लोकतंत्रात्मक निष्ठा को पुष्ट करती है।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो विपक्ष उभरा, वही विकल्प बनने में भी सक्षम था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास है।

विचारधारा

- राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है। इसके लिये संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संगत विचारधारा से प्राप्त होता है। आज भारत के सभी राजनैतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद तथा पंचनिष्ठाओं की संगत विचारधाराओं के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। शासन की नीति में भी इनका समुचित प्रतिबिम्बन होगा।

सुशासन

- ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी है। छः साल का केन्द्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। गत तीन वर्षों से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सुशासन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों का शमन करने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा।

❍

सैद्धांतिक अधिष्ठान

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है–भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएँ और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे।

भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है 'भारत माता की जय'। भारत का अर्थ है 'अपना देश'। देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है और जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है। यह हमारी माता है और हम सभी भारतवासी उसकी संतान हैं। एक माँ की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोदर यानि भाई–बहन हैं। भारत माता कहने से एक भूमि और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृति का भी ध्यान बना रहता है। इस माता की जय में हमारा संकल्प घोषित होता है और परम वैभव में है माँ की सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व सौख्य की स्थापना। यही है 'भारत माता की जय'।

भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। यह दर्शन हमें मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एकात्म यानि समग्र विचार करना सिखाता है। यह दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास–क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गाँव, राज्य, देश और सृष्टि तक उसकी पूर्णता देखता है। यह दर्शन प्रकृति और मनुष्य में माँ का संबंध देखता है, जिसमें प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी

आवश्यकता की चीजों का दोहन किया जाता है।

भाजपा के संविधान की धारा 4 में पाँच निष्ठाएँ वर्णित हैं। एकात्म मानववाद और ये पाँचों निष्ठाएँ हमारे वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना–बना बुनती हैं।

(१) लोकतंत्रः विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद का एक मंत्र 'एकं सद विप्राः बहुधा वदन्ति उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है, सत्य एक ही है। विद्वान इसे अलग–अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है कि किसी एक के पास सच नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। विचार स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन) का आधार यह मंत्र है।

संस्कृत में एक और मंत्र है– 'वादे वादे जयाते तत्त्व बोधः'। इसका अर्थ है चर्चा से हम ठीक तत्त्व तक पहुँच जाते हैं। चर्चा से सत्य तक पहुँचने का यह मंत्र भारत में लोकतंत्रीय स्वभाव बनाता है। इन दोनों मन्त्रों ने भारत में लोकतंत्र का स्वरूप गढ़ा–निखारा है। भारतीय समाज ने इसी लोकतंत्र का स्वभाव ग्रहण किया है। लोकतंत्र भारतीय समाज के अनुरूप व्यवस्था है।

भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती से अपनाया है। भाजपा संभवतः अकेला ऐसा राजनीतिक दल है, जो हर तीसरे साल स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजह है कि कभी चाय बेचने वाला युवक देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग–अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुँचना संभव होता रहा है।

सत्ता का किसी एक जगह केन्द्रित होना लोकतंत्रीय स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए लोकतंत्र विकेन्द्रित शासन व्यवस्था है। केन्द्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत सभी के काम और जिम्मेदारियाँ बँटी हुई हैं। सब को अपनी–अपनी जिम्मेदारियाँ भारत के संविधान से प्राप्त

होती हैं। संविधान द्वारा मिली अपनी–अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी (केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत) स्वतंत्र हैं। इसीलिए गाँव के लोग पंचायत द्वारा गाँव का शासन स्वयं चलाते हैं और यही इनके चढ़ते हुए क्रम तक होता है।

लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा आपातकाल में जगजाहिर हुई। 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था। नागरिकों के संविधान–प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था। तत्कालीन जनसंघ (अब भाजपा) नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था और पार्टी दफ्तरों पर सरकारी ताले डाल दिए गए थे। अखबारों पर भी सेंसरशिप लागू हो गई थी।

लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही हम (यानि तत्कालीन जनसंघ के कार्यकर्ता) भूमिगत अहिंसक आंदोलन खड़ा कर सके। समाज को संगठित करके एक बड़ा संघर्ष किया। असंख्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस का दमन, जेल यातना और काम धंधे (रोजी–रोटी) का नुकसान सहा। इसी संघर्ष का परिणाम था 1977 के आम चुनावों में जनता जनार्दन की शक्ति सामने आई और इंदिरा जी की तानाशाह सरकार धराशायी हो गई।

(२) सकारात्मक पंथ–निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभावः एक समय पश्चिमी देशों में पोप और पादरियों का राजकाज में अत्यधिक नियंत्रण हो गया था। अगर कोई अपराध करता था तो चर्च में एक निर्धारित राशि का भुगतान करके वह अपराधमुक्त होने का प्रमाणपत्र ले सकता था। नतीजा यह हुआ कि शासन में धर्म के असहनीय हस्तक्षेप का विरोध शुरू हो गया। विरोधियों का तर्क था कि धर्म घर के अंदर की वस्तु है। इस विरोध आन्दोलन से धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ।

भारत में धर्म किसी पुस्तक, पैगम्बर या पूजा पद्धति में निहित नहीं

है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ है जीवन शैली। अग्नि का धर्म है दाह करना और जल का धर्म है शीतलता। राजा को कैसे रहना और व्यवहार करना है यह है उसका राज-धर्म, पिता की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसे क्या करना चाहिए, यह है पितृ-धर्म। इसी तरह पुत्र-धर्म और पत्नी-धर्म हैं। इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से निरपेक्ष हो जाना नहीं है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्व पंथ समादर भाव है। शासक किसी पंथ को, किसी भी पूजा पद्धति को राज-पंथ, राज-धर्म या राज-पद्धति नहीं मानेगा। वह सभी धर्मों, पंथों एवं पद्धतियों को समान आदर देता है। हमारा उद्देश्य है, न्याय सबके लिए और तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ है 'सबका साथ सबका विकास'। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिन्दुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं लड़ना है, बल्कि दोनों को मिल कर गरीबी से लड़ना है।

(३) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता: हमारा मानना है कि भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है, नवोदित राष्ट्र भी नहीं है, बल्कि यह सनातन राष्ट्र है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रकृति द्वारा निर्धारित यह देश है। इस देश-भूमि को देशवासी माता मानते हैं । उनकी इस भावना का आधार प्राचीन संस्कृति और उससे मिले जीवनमूल्य हैं। हम इस विशाल देश की विविधता से परिचित हैं। विविधता इस देश की शोभा है और इन सबके बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत की विशेषता है। हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है केवल भौगोलिक नहीं। इसीलिए भारत भू-मंडल में अनेक राज्य रहे, पर संस्कृति ने राष्ट्र को बाँधकर रखा, एकात्म रखा।

(४) सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण जिससे शोषणमुक्त और समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके: गाँधीवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभाव और शोषण से मुक्त समतामूलक

समाज की स्थापना है। दुर्भाग्य से एक समय में, जन्म के आधार पर छोटे या बड़े का निर्धारण होने लगा, अर्थात् जाति व्यवस्था विषैली होकर छुआछूत तक पहुँच गई। भक्ति काल के पुरोधाओं से लेकर महात्मा गाँधी व डॉ. अम्बेडकर को इससे समाज को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज भी यह विषमता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

यही वजह है कि अनुसूचित जाति के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होते हैं और उन्हें यह अहसास कराया जाता है कि वे बाकी जातियों से कमतर हैं। शिक्षित और धनवान हो जाने से भी यह विषमता दूर नहीं होती। भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. अम्बेडकर ने विदेश से पीएचडी कर ली थी। फिर भी वह जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ उनके पीने के पानी का घड़ा अलग रखा जाता था। भाजपा इसे स्वीकार नहीं करती। हम मानते हैं कि सभी में एक ही ईश्वर समान रूप से विराजता है। मनुष्य मात्र की समानता और गरिमा का यह दार्शनिक आधार है। देश को सामाजिक शोषण से मुक्त कराकर समरस समाज बनाना हमारी आधारभूत निष्ठा है।

किसी एक राज्य या कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रीकरण के अपने खतरे होते हैं और यह स्थिति सत्ता में भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। लेकिन गाँधीजी की मांग सही साधनों पर भरोसा करने की भी थी। उन्होंने किसी 'वाद' को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके दृष्टिकोण जीवन के प्रति एकात्म प्रयास को उजागर करते हैं।

महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण के आधार पर भाजपा भी आर्थिक शोषण के खिलाफ है और साधनों के समुचित बंटवारे की पक्षधर है। हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि कमाने वाला ही खाएगा। हमारी दृष्टि में कमा सकने वाला कमाएगा और जो जन्मा है वह खाएगा। हमारा मानना है कि समाज और राज्य सबकी चिन्ता करेंगे।

दीनदयालजी मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोजगार को भी जोड़ते थे। आर्थिक विषमताओं की बढ़ती खाई को पाटा जाना चाहिए। अशिक्षा, कुपोषण और बेरोजगारी से एक बड़ा युद्ध लड़कर ''सर्वे भवन्तु सुखिन:'' का आदर्श प्राप्त करना हमारी मौलिक निष्ठा है। हमारे गाँधीवादी दृष्टिकोण ने यह सिखाया है कि इसके लिए हमें विचार या तंत्र बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपनी बुद्धि, प्रतिभा और पुरुषार्थ से हम इसे पा सकते हैं।

(५) मूल्य आधारित राजनीति: भाजपा ने जो पांचवाँ अधिष्ठान अपनाया है वह है 'मूल्य आधारित राजनीति'। एकात्म मानववाद मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करता है। नियमों और मूल्यों के निर्धारण के वायदे के बिना राजनीतिक गतिविधि सिर्फ निज स्वार्थपूर्ति का खेल है। भाजपा 'मूल्य आधारित राजनीति' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरण एवं नैतिक मूल्यों की पुन:स्थापना उसका लक्ष्य है।

आज देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है और राजनीति विशुद्ध रूप से ताकत का खेल बन गई है। यही वजह है कि देश नैतिक ताकत के लुप्तिकरण से जूझ रहा है और मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता को खोता जा रहा है। जब हम इन पांचों निष्ठाओं की बात करते हैं तो अपने आसपास या देश में घटे कुछ ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं, जिनसे लगता है कि हम हर स्तर पर पूरी तरह सभी निष्ठाओं का पालन करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। पर, हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि ये निष्ठाएँ हमारे लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह हैं। हम सबको यह प्रयत्न करते रहना जरूरी है कि हम अपना जीवन और अपनी पार्टी को इन निष्ठाओं के आधार पर चलाएँ। ❍

नगर निकायों की परिकल्पना

पृष्ठभूमि

26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसने अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया, परन्तु शहरी स्थानीय निकायों के बारे में कोई निर्देश नही दिया। शहरी स्थानीय इकाईयों का संदर्भ, मात्र संविधान की राज्य एवम् समवर्ती सूचियों में पाया जाता है। राज्य सूची में क्रमांक पाँच पर अंकित है, 'स्थानीय शासन अर्थात् स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन हेतु नगर महापालिकाओं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिला बोर्डों, खनन बन्दोबस्त सत्ताओं तथा अन्य स्थानीय सत्ताओं का गठन तथा शक्तियाँ।'

इस प्रकार मूलरूप से संविधान, शहरी स्थानीय शासन को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखता है और केन्द्र सरकार की भूमिका न्यूनाधिक रूप में परामर्शदाता तथा उत्प्रेरक के रूप में निश्चित करता है।

उपरोक्त प्रावधान के कारण यद्यपि समय-समय पर केन्द्र सरकार ने शहरी स्थानीय शासन के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने के लिए कुछ समितियों की स्थापना की जो अलग-अलग विषयों के अध्ययन तक सीमित रहीं जैसे स्थानीय वित्त जाँच समिति (1949-51), कर जाँच आयोग (1953-54), नगरपालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर समिति (1963), ग्रामीण-शहरी सम्बन्ध समिति (1963-66), नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर समिति (1965-68) तथा नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग (1988) जैसी समितियाँ थीं । इस कारण शहरी स्थानीय शासन राज्यों पर निर्भर रहा ।

केंद्र के न्यूनतम हस्तक्षेप की गुंजाइश रही और राज्यों द्वारा शहरों का अपेक्षित विकास न होने के कारण इससे संबंधित कानून में 74वें

संशोधन द्वारा व्यापक बदलाव किया गया।

16 सितम्बर 1991 को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा नगरपालिका स्थानीय शासन से सम्बंधित पुनः संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया गया। दिसम्बर 1992 में इसे दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त हो गयी। शीघ्र इसे आधे राज्यों की पुष्टि मिल गयी। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर उसी दिन संविधान का (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 के रूप में सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया गया।

संरचनाः-

74वां संविधान संशोधन निम्न प्रकार के शहरी क्षेत्रों का उल्लेख करता है-

1. महानगर क्षेत्र - इसका अभिप्राय राज्य के ऐसे क्षेत्रें से है जिसकी जनसंख्या 10 लाख अथवा अधिक हो, जिसमें एक या अधिक जनपद शामिल हों तथा दो अथवा अधिक नगरपालिकाएँ (शहरी स्थानीय इकाइयाँ अर्थात् नगर पंचायत अथवा नगरपालिका परिषद अथवा नगर निगम अथवा इनका सम्मिश्रण) अथवा पंचायतें, (ग्राम, मध्य अथवा जनपद, किसी भी स्तर की ग्रामीण स्थानीय इकाइयाँ) अथवा अन्य जुड़े हुए क्षेत्र सम्मिलित हों जैसा कि राज्यपाल शासकीय अधिसूचना के द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित करे। इस शासकीय संस्था को पूरे देश में नगर निगम कहा गया।

राज्यपाल वृहत्तर नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी करने में निम्न को ध्यान में रखेंगे-

- क्षेत्र की जनसंख्या
- जनसंख्या का घनत्व
- गैर-कृषि रोजगारों में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत
- स्थानीय प्रशासन हेतु राजस्व का प्रजनन

- ❖ क्षेत्र का आर्थिक महत्त्व
- ❖ अन्य ऐसे आधार जो कि राज्यपाल उचित समझें

2. लघुतर नगरीय क्षेत्र–इसकी अधिसूचना भी राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। इसकी शासकीय सत्ता को नगरपालिका परिषद कहते हैं।
3. संक्रमणशील क्षेत्र– राज्यपाल ही इसकी भी अधिसूचना जारी करते हैं। इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल किये जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हों। संक्रमणशील क्षेत्र की शासकीय संस्था को नगर पंचायत कहते हैं।

गठनः–

शहरी स्थानीय इकाइयों में तीन प्रकार के सदस्य होंगेः निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन।

1. निर्वाचितः– केवल उन सदस्यों को छोड़कर, जिन्हें शहरी स्थानीय निकायों में मनोनयन अथवा पदेन सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, अन्य सभी स्थान स्थानीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों, जिन्हें वार्ड कहा जाता है, से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जायेंगे।
2. मनोनीतः– राज्य विधान–मण्डल, विधि द्वारा ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकता है, जिन्हें नगर पालिका शासन में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त हो, ऐसे सदस्यों को स्थानीय निकायों की चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार है पर मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
3. पदेनः– राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा, निम्न प्रकार के व्यक्तियों को पदेन प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है।

अ) लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को उन निकायों में, जिसकी सीमाओं में उनके चुनाव–क्षेत्र पूर्ण अथवा आंशिक रूप में पड़ते हों।

ब) राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को, उन स्थानीय निकायों में जिनकी सीमाओं में वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हों।

स) ऐसी समितियों के पीठासीन अधिकारी, जिनका प्रावधान राज्य विधान-मण्डल ने किसी भी शहरी क्षेत्र के लिए किया हो।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनः-

- शहरी स्थानीय निकायों के स्वतंत्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गयी है। वास्तव में एक ही राज्य निर्वाचन आयोग ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों के निर्वाचन सम्पन्न करायेगा।

आरक्षणः-

- 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। तदनुसार, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में सीधे निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से उतने स्थान आरक्षित होंगे, जो अनुपात उस निकाय क्षेत्र में, उनकी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से है। पिछड़े वर्गों के पक्ष में भी सीधे भरे जाने वाले स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परन्तु आरक्षण की विधि राज्य विधान-मण्डलों पर छोड़ दी गयी है क्योंकि 74वें संशोधन के पारित होने के समय पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर अंतिम नीति नहीं बन सकी थी।

जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, प्रत्येक स्थानीय निकाय में सीधे भरे जाने वाले स्थानों में से एक-तिहाई स्थान उसके लिए आरक्षित कर दिये गये हैं। इसे कार्य रूप देने के लिए अनुसूचित जातियों के कुल

आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक-तिहाई, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक-तिहाई तथा अनारक्षित स्थानों में से एक-तिहाई क्रमशः उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, अर्थात् अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित यह निश्चत करने के लिए कि वही वार्ड बार-बार होने वाले निर्वाचनों में एक ही वर्ग के लिए आरक्षित न हो जाय। 74वां संशोधन आरक्षण को चक्रानुक्रम में कार्यान्वित करने का निर्देश देता है।

सदस्यों के समान शहरी स्थानीय निकायों के पीठासीन अधिकारियों के पदों में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु आरक्षण की विधि का निर्णय राज्य विधान मण्डल पर छोड़ दिया गया है।

कार्यकाल:-

- 74वें संशोधन के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, इससे अधिक इसका विस्तार नहीं किया जा सकेगा तथा पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही नये निर्वाचन कराना आवश्यक है।

विघटन:-

- पाँच वर्ष पूरे होने के पूर्व ही शहरी स्थानीय निकायों को विघटित किये जाने की व्यवस्था है। 74वां संशोधन विघटन के कारणों का उल्लेख नहीं करता, वरन मात्र यह कहता है कि विघटन से पूर्व, नगरपालिका को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि किसी स्थानीय निकाय को विघटित किया जाता है तो विघटन की तिथि से छह माह के अन्दर नये निर्वाचन सम्पन्न हो जाने चाहिए तथा नव-निर्वाचन निकाय पूर्व निकाय के अवशेष कार्यकाल का ही उपयोग कर सकेगा,

उस निकाय के जिसके विघटन के कारण नया निर्वाचन हुआ। परन्तु यदि पूर्ववर्ती निकाय का कार्यकाल छह माह से कम बचा हो तो नव–निर्वाचित निकाय पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल का उपभोग करेगा।

वित्तीय स्रोतः–

- इन निकायों का वित्तीय आधार सुदृढ़ करने के लिए 74वां संशोधन राज्य विधान–मण्डल को विधि–निर्माण करने की सत्ता प्रदान करता है ताकि शहरी स्थानीय निकायों को करों, शुल्क, मार्ग करों तथा फीस आरोपित करने की सत्ता प्राप्त हो सके।
- शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा आरोपित तथा एकत्रित करों, शुल्कों, मार्ग करों तथा फीस प्रदान की जा सके तथा राज्य के संचित कोष से, सहायक अनुदान देने की व्यवस्था की जा सके।
- उन सिद्धांतों को जिनके आधार पर उपरोक्त वित्तीय संसाधन प्रदान किये जायेंगे, संस्तुत करने का कार्य राज्य वित्त आयोग को प्रदान कर दिया गया है यह आयोग निम्न के बारे में सिद्धांतों का निर्धारण करेगा।
- राज्य तथा शहरी निकायों के मध्य राज्य सरकार द्वारा आरोपित करों, शुल्कों, मार्ग करों तथा फीस से प्राप्त आय के वितरण की व्यवस्था तथा इस आय का विभिन्न स्तरों के स्थानीय निकायों के मध्य वितरण।
- उन करों, शुल्कों, मार्ग करों तथा फीस का निर्धारण, जो कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित अथवा विनियोजित किये जा सकतें हो तथा राज्य के संचित कोष से स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान।

दायित्व और अधिकार और नगर निकायों का कार्यों का क्षेत्र

नगर निकाय नगरों की व्यवस्था को संचालन करने की सबसे छोटी इकाई है। इसके प्रतिनिधि भी जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों को गली एवं मोहल्ले की छोटी से छोटी मूलभूत परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं की देख-रेख करनी होती है। स्थानीय निकायों का संचालन सदन से होता है। सदन चुने हुए प्रतिनिधि, नामांकित प्रतिनिधि एवं अधिकारी (प्रशासनिक) वर्ग मिलकर बनता है।

भारत में प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के लिए उसके अंतर्गत आने वाले स्थानीय निकायों के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। सदन उसी कानून के आधार पर ही संचालित होते हैं।

नगर निकायों का अधिकार क्षेत्र

❖ अब तक शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकारों के लिए पूर्णतया अपनी राज्य सरकारों पर निर्भर थे। 74वें संशोधन ने पहली बार उनके अलग अधिकार-क्षेत्रों की व्यवस्था की है।

1. शहरी नियोजन, जिसमें नगर नियोजन सम्मिलित है।
2. भूमि प्रयोग का नियमन तथा भवनों का निर्माण ।
3. आर्थिक एवम् सामाजिक विकास के लिए नियोजन।
4. मार्ग तथा पुल।
5. गृह, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिए जलापूर्ति।
6. जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल-सफाई तथा ठोस अपशेष प्रबन्धन।
7. अग्निशमन सेवायें।

8. शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी मामलों की प्रोन्नति।
9. समाज के दुर्बल वर्गों, जिसके अन्तर्गत अपंग एवम् मानसिक रूप से अविकसित सम्मिलित हैं, के हितों की रक्षा।
10. झुग्गी-झोपड़ी सुधार तथा उच्चीकरण।
11. शहरी गरीबी उन्मूलन।
12. पार्क, बगीचे, खेलकूद के मैदान,जैसी सुखसाधन, सुविधाएँ।
13. सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौन्दर्यपरक आयामों की प्रोन्नति।
14. दफन तथा कब्रिस्तान, दाह-संस्कार तथा शमशान तथा विद्युत शवदाहगृह।
15. कांजी हाउस, पशुओं पर निर्दयता पर रोक।
16. महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी, जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सम्मिलित है।
17. सार्वजनिक सुख-साधन, जिसके अन्तर्गत मार्ग, प्रकाश, गाड़ी खड़ी करने का स्थान, बस स्टाप तथा जन सुविधायें भी सम्मिलित हैं।
18. पशुबध स्थलों तथा चर्मशोधनशालाओं का नियमन।

सांविधिक प्रावधान, प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश

प्रत्येक निकाय के उस कानून के अलावा procedures and conduct of business regulations होते हैं। उनके आधार पर सदन एवं समितियों का संचालन होता है।

1. सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेने के एक माह के भीतर निगम सचिव को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा लिखित में देना अनिवार्य है। यह प्रत्येक वर्ष एक नियत तिथि तक देना होता है।

2. सदस्यों को सदन की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहना चाहिए। तीन बैठकों में लगातार बिना ''निगम'' की अनुमति के अनुपस्थित होने पर सदस्यता रद्द हो सकती है।

3. सदन में कोई जनता एवं निगम से सम्बंधित प्रश्न पूछने के लिए सात दिन का नोटिस एवं प्रश्न निगम के सचिव को लिखित में देना होता है।

4. अति आवश्यक प्रश्न – शॉर्ट नोटिस के नाम से सदन को समय से दो घण्टे पहले नोटिस एवं लिखित प्रश्न निगम सचिव को देना चाहिए। उसे महापौर की अनुमति से पूछा जा सकेगा।

5. सदन में किसी विषय पर चर्चा होने पर, जिसकी विषय सूची पहले आ जाती है, अपने दल के नेता एवं नीतियों के अनुसार अपनी बात रखनी चाहिए।

6. सदन की विषय सूची (एजेंडा) सदस्यों के पास काफी पहले आ जाती है। विषय सूची को अच्छे से पढ़ने एवं समझने के बाद उस विषय पर सदन में बात रखनी चाहिए।

7. निगम से सम्बंधित नीतिगत विषय पर जो कि सम्पूर्ण निगम क्षेत्र अथवा विभाग विशेष से सम्बंधित ही, सदन में प्रश्न पूछ सकते हैं।

8. परन्तु आपको वॉर्ड से सम्बंधित विषय के लिए वॉर्ड कमेटी में प्रश्न पूछना अथवा जानकारी लेना ही उचित है।

9. विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, स्वच्छता इत्यादि के लिए विशेष समितियों का गठन होता है। समितियों के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, उन्हें अपनी समितियों की नियमित, साप्ताहिक अथवा प्रशिक्षण बैठक सुनिश्चित करना होता है। अधिकारियों के साथ वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्ययोजना बनानी होती है। अपनी समिति के माध्यम से अपने विभाग के लिए

आवश्यकता अनुसार वार्षिक बजट तैयार करना, उसको समिति एवं सदन से पास कराना एवं अधिकारियों के ताल मेल से उस बजट का वर्ष के भीतर ही उपयोग हो, यह भी सुनिश्चित करना होता है।

बजट

अक्सर यह देखने में आता है कि सदस्यों को बजट से सम्बंधित विषयों की जानकारी का अभाव रहता है। इसलिए उनकी जानकारी होनी चाहिए।

अ) निकाय का अपना बजट

ब) राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला बजट

स) केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला बजट

राज्य सरकार को जनता के टैक्स के धन का कुछ प्रतिशत अपने स्थानीय निकायों को देना होता है। जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 के अंतर्गत राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्त आयोग बनाकर तय करना होता है।

विशेष बजट

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विषयों के अनुसार भी बजट दिया जाता है। जैसे:-

1. पुनर्वास बस्ती
2. अनुसूचित जाति बस्ती
3. नालों का रखरखाव एवं नया निर्माण
4. विद्यालयों के लिए
5. स्वच्छता
6. शौचालयों के लिए

7. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए

ध्यान रहे, इस तरह का बजट केवल उस विशेष मद के कार्यों में ही उपयोग हो सकता है।

प्रशासन का प्रभावी उपयोग

नगर निकाय का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक अधिकारी वर्ग है। इसलिए मर्यादा में रहकर अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाने चाहिए। किसी भी विकास कार्य के लिए उसका निरीक्षण होना, प्रोजेक्ट बनना, इस्टीमेट बनना, टेंडर होना, वर्क अवॉर्ड (work award) होना। फिर उसका क्रियान्वयन होने पर उसका होना, यह सब अधिकारी वर्ग की जिम्मेदारी है। अपने निकाय के नियम-कानून के अंतर्गत ही अधिकारी वर्ग को कार्य करना होता है। इसलिए इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ❍

संगठन-सत्ता समन्वय

संगठन–सत्ता समन्वय। इन शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देना होगा। ऐसा इसलिए कि सगंठन से सत्ता का जन्म होता है, न कि सत्ता से संगठन का जन्म होता है। संगठन सत्ता की जननी है।

विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास पर जब नजर दौड़ाते हैं तो यह बात स्वतः प्रमाणित हो जाती है कि संगठन सत्ता की जननी है। विश्व के किसी भी देश में सत्ता से संगठन का निर्माण नहीं हुआ है। अतः सत्ता यदि कलश है तो उसकी नींव में संगठन है। सत्ता आने के बाद जनहित में प्रतिपादित करने का कार्य संगठन का प्राथमिक दायित्व है। राजनीतिक दल का विचार ही उसे अन्य राजनीतिक दलों से अलग दर्शाता है। सरकार जनहित में अच्छी तरह कार्य करे, यह दायित्व संगठन का होता है। प्रायः कार्यकर्ता यह सोचने लगते हैं कि सत्ता आ गई, अपना काम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन को सत्ता में लाने की भूमिका कौन निभाता है, वैचारिक कार्यकर्ता और उसके समर्थकों के बीच कौन जाता है, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता। जनता के बीच कौन जाते हैं, वैचारिक कार्यकर्ता और समर्थक। गाँव–गाँव और चौपालों तक, शहरों में और गली–मोहल्लों में जनादेश मांगने संगठन के कार्यकर्ता रात–दिन एककर जाते हैं।

नेता चुनाव में निमित्त होता है, परन्तु उसे जीत की चौखट तक ले जाने का कार्य कार्यकर्ता करता है। अतः जब वह नेता एमएलए–एमपी बनता है तो उस जीत में सिर्फ उनकी भूमिका ही नहीं होती बल्कि कार्यकर्ता की भी भूमिका होती है। जनता के प्रति जितने जिम्मदेार निर्वाचित नेता माने जाते हैं, उससे कम जिम्मदेारी कार्यकर्ताओं की नहीं

होती। अतः सत्ता आने के बाद दायित्व और अधिक बढ़ जाता है।

तत्कालीन जनसंघ और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का जन्म केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ, अपितु इसका उद्देश्य विशाल आधार पर अपना स्थायी सगंठन खड़ा कर सत्ता के माध्यम से भारत की भावी उन्नति और उसे वैभवशाली बनाने में हम सक्रियता से हाथ बँटा सके, यह उद्देश्य है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें हम जनसंघ का आद्य संस्थापक कहते हैं, ने कहा था–''हमारा व्यवहार, हमारा क्रियाकलाप, आचरण–व्यवहार की नित्य परीक्षा होगी और समाज की इस परीक्षा में हम जितने सफल होंगे, उतनी ही शक्ति का संचय हागा। जब शक्ति का सचंय होगा, तब हम समर्थ होंगे।'' उन्होंने आगे कहा– ''हमारे कार्य का केन्द्र बिन्दु राष्ट्र है'' और दीनदयाल जी ने कहा– ''जिस राष्ट्र के नागरिक का जीवन राष्ट्र के साथ एकात्म हो जाता है, उस राष्ट्र को समर्थ बनने में अधिक दिन नहीं लगते।'' उन्होंने कहा, ''संगठन की आत्मा जहाँ एकात्मता में बसती है, वहीं अनुशासन उसे और निखारता है। अनुशासन और एकात्मता संगठन के साथ–साथ सत्ता आने पर भी, सत्ता में भी यह बात लागू होती है।

संगठन और सत्ता का समन्वय कार्य को सरल करता है। साथ ही विचार को प्रबलता प्रदान करता है। समन्वय, शब्द नहीं भाव है। संगठन चलाने वाले, सत्ता में आने वाले और सत्ता चलाने वाले–सभी को यह भाव जीवित रखना होगा। पं. दीनदयाल जी कहते थे कि यह भाव तभी तक जीवित रह सकता है जब तक सत्ता और संगठन में लगे लोगों के मन में कार्यकर्ता–भाव जाग्रत रहेगा। अतः कार्यकर्ता–भाव संगठन और सत्ता के समन्वय का मूलाधार है। संगठन के मन में यह भाव कभी नहीं आना चाहिए कि सत्ता हमारे लिए और सत्ताधारियों के लिए यह भाव

कभी नहीं आना चाहिए कि सत्ता हमारे लिए। सत्ता समाज की है जिसे संगठन ने समाज की शक्ति का संचय करके लाने की चेष्टा की है। समन्वय का आधार है – संवाद, सपंर्क, सहजता, सरलता, सहानुभूति, संवदेनशीलता, समरसता, साथ ही इन सभी में सक्रियता। इन विषयों पर सदैव संगठन और सत्ता दोनों को सदैव चलते रहने का अभ्यास होना चाहिए। संगठन मातृत्व के आंचल से सत्ता को दुलारता रहे, पुचकारता रहे, आगाह भी करता रहे, वहीं सत्ता को भी चाहिए कि वह जन–गण का मन जीते, जिससे संगठन का समाज में सहज विस्तार होता रहे।

देखने में आता है कि सत्ता में आते ही या एमएलए–एमपी बनते ही कार्यकर्ता–भाव में क्षरण सा होने लगता है। सत्ता की माया में मोह बढ़ता जाता है। इसके कारण संगठन के कार्यकर्ताओं को लगने लगता है कि इनकी तो कार्यपद्धति बदल गई, इनका रहन–सहन बदल गया, सुविधाओं से घिरने लगे और धीरे–धीरे उनके इर्द–गिर्द ऐसे व्यक्तियों का जमावड़ा हो जाता है, जो वैचारिक संगठन में कम और व्यक्ति में अधिक निष्ठा रखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में समन्वय मौन हो जाता है। अतः सत्ता के करीब होते हुए भी कार्यकर्ता की आत्मा को जीवित रखना, समन्वय की प्राथमिकता है। जिन कारणों से कांग्रेस सत्ता में बदनाम हुई, उससे हमारे दल के सत्ताधारियों को बचना चाहिए। सत्ता समाज प्रदत्त संवैधानिक अधिकार है न कि निजी तौर पर अर्जित की गई सपंत्ति। संगठन जब समाज के बीच अपनी विचार की धार लेकर प्रवाहित होता है तब समाज संगठन को सत्ता का निमंत्रण देता है।

सत्ता जब जनहित में फैसले लेती है उन फैसलों को जन–जन के चौखट तक ले जाने का कार्य सिर्फ सरकारी तंत्र का नहीं बल्कि संगठनात्मक तंत्र का भी है। केंद्र और भाजपा शासित राज्य गरीबों के कल्याणार्थ एक नहीं, अनेक फैसले करते जा रहे हैं परन्तु उससे समाज

लाभान्वित हो, यह दायित्व तो उस संगठन का अवश्य होता है, जिसकी सरकार होती है।

हम एक सत्ताधारी दल के संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं तो क्या हम–

1. कार्यकर्ता के नाते निश्चित समय के लिए क्या कोई अपना दफ्तर चलाते हैं? क्या उस दफ्तर में संगठन द्वारा लाई गई सत्ता की योजनाओं की जानकारी रखते हैं?
2. जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते क्या हमारा प्रवास सरकारी स्थानों का, जैसे स्कूल, अस्पताल, पंचायत, स्वास्थ्य सहित अन्यान्य स्थानों पर होते हैं?
3. क्या हमारी चर्चा अपने चुने गए प्रतिनिधियों और निर्वाचित मंत्रियों से होती है?
4. सरकार की योजनाओं को लेकर हम कोई सेमिनार करते हैं?
5. राज्य या केंद्र द्वारा प्रस्तुत बजट का क्या हम अध्ययन करते हैं?
6. क्या हम इन दोनों बजटों पर सामाजिक सेमिनार करते हैं?
7. योजनाओं की उपलब्धता से हमारे दल का कार्यालय सुसज्जित है?
8. क्या हम अपने नेतृत्व का, मंत्रियों का नियमित प्रवास तय करते हैं?
9. क्या हम योजनाओं के प्रचार के लिए चौपाल लगाते हैं?
10. क्या हमारा हाट–बाजारों में संपर्क रहता है?
11. क्या हम अपने नगर–पंचायत के बारे में लोगों से विचारों का आदान–प्रदान करते हैं?

संवाद, सपंर्क, यह समन्वय का जीवित आधार है। अतः हमें समन्वय के लिए सत्ता और सगंठन के मध्य संवाद और सपंर्क बढ़ाना

होगा। देश की राजनीति में सत्ता आने के बाद समाज भी प्रहरी की भूमिका में आ जाता है और वह हमारे कार्यों को लाखों आँखों से देखने की चेष्टा करता है। अतः हमें विवादित बयान, अनावश्यक चर्चाओं से सदैव बचना चाहिए।

अक्सर होता यह है कि सत्ता की सुविधा देखकर संगठन की असुविधा में कार्य कर रहे लोग सत्ता से चिढ़ने लगते हैं। सुविधा सत्ता की आवश्यकता है और असुविधा संगठन की प्रेरणा है। संगठन काष्टिक कार्य है पर सत्ता तो उससे भी अधिक काष्टिक कार्य है। सत्ता काटों का ताज है, लेकिन हम इसे जनहित में धारण करते है। अपने सिर पर कांटा चुभने देते है परन्तु पुष्प की सुगंध से समाज को पल्लवित करने का कार्य करते हैं।

संगठन और सत्ता में समन्वय समाज को अत्यधिक आकर्षित करता है। अतः राष्ट्र–कार्य की दृष्टि से उन चीजों को तिलांजलि देनी होगी जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है–उदाहरणार्थ–आज कांग्रेस को समाज ने तिलांजलि दे दी है, हम और आप उन कारणों को जानते हैं जिन कारणों के चलते समाज ने कांग्रेस को तिलाजंलि दी। अतः हमें उन कारणों से बचना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी प्रचार के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी महेनत से न केवल भारत में अपितु विश्व में अपना स्थान बनाया है। परिश्रम, प्रणाम को जन्म देता है। आज नरेंद्र मोदी मीडिया के मोहताज नहीं, बल्कि मीडिया उनका मोहताज है।

अगर देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में बार–बार यह कहते हैं कि जनता के बीच हमें अपनी योजनाओं को ले जाना चाहिए। कार्य का मूल्यांकन सदैव करना चाहिए तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं। संगठन भी कार्यकर्ताओं से चलता है और

सत्ता भी कार्यकताओं से चलती है। दोनों की आँखों के सामने राष्ट्र और भारत–माता सदैव बने रहना चाहिए।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने संगठन–सत्ता–समन्वय के बारे में कहा था कि हम दो अलग–अलग शरीर होने के बाद भी एक प्राण हैं। एक आत्मा हैं। अतः परमात्मा के सहयोग और आत्मा की आवाज से जन–जन का कार्य करने का संगठन के माध्यम से सत्तारूपी धरती पर जो हमें कार्य करने का अवसर मिला है, उसे एक भी क्षण नहीं खोना चाहिए।

शहरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाएँ

अमृत योजना

इस योजना के तहत शहरी इलाकों की आधारभूत संरचना को दुरुस्त करना है। अमृत योजना अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से शुरू की गई है। इसके तहत 500 शहरों का पूरी तरह कायाकल्प किया जाएगा। पेयजल, बिजली, परिवहन इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस परियोजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जायेगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स आदि सभी सुविधाएँ ई-गवर्नेन्स के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी। पानी आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। चुने हुए इलाकों का सीवरेज सिस्टम ठीक कया जाएगा। इसी के साथ पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। शहरों में बहुस्तरीय पार्किंग आदि की व्यवस्था होगी। शहरी परिवहन व्यवस्था की ठीक किया जाएगा। ऐसे चुने हुए शहरों में हरित बेल्ट विकसित किए जाएंगे। यह योजना उसी कस्बे में लागू होगी, जहाँ की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है। उन छोटे शहरों में लागू होगी, जहाँ से छोटी-छोटी नदियाँ गुजरती हैं। उन पहाड़ी इलाकों व द्वीपों पर लागू होगी, जहाँ पर्यटन का स्कोप ज्यादा है। इसके अंतर्गत वो परियोजनाएँ भी आयेंगी जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अधूरी रह गईं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

यह योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएंगे। सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को

चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे। योजना का शुभारंभ 25 जून, 2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी जिनमें से 18 लाख घर झुग्गी–झोपड़ी वाले इलाके में, बाकी 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में आवंटित किया जायेगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। इसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

इस योजना की शुरुआत देश के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को की गई। योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्द ही मिट्टी के चूल्हे से आजादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा भी है। ❍

मीडिया/सोशल मीडिया संवाद

जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी मीडिया के प्रभाव का विस्तार हुआ है। हर घर में समाचार पत्रों की दस्तक हो गई है। हर घर में टीवी और हर हाथ में लैपटाप है। प्रिंट, इलेक्ट्रानिक के साथ सोशल मीडिया/डिजिटल मीडिया का हस्तक्षेप प्रभावकारी भूमिका में है। इसमें अपना दखल बढ़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए। संचार की आधुनिक तकनीकों में दक्षता जरूरी है, **गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर** जैसे दसियों लोकप्रिय वेबसाइटों का इस्तेमाल कर पार्टी की छवि में चार चांद लगा सकते हैं।

नियमित संपर्क में रहें

भाजपा के हर कार्यकर्ता को मीडिया से न केवल निकट का संपर्क रखना जरूरी है वरन पार्टी और अपनी छवि को जनता के बीच चमकाने के लिए उसका अधिकतम इस्तेमाल करना है। इसके लिए मीडिया से नियमित संपर्क अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं। आप सब जानते हैं कि भाजपा अन्य दलों से भिन्न है। विचारधारा आधारित पार्टी है। पार्टी के विस्तार के साथ ही उसकी वास्तविक छवि जनता के सामने आये, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी व्यक्तिगत स्तर पर अपनी विचारधारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कामकाज के बारे में गहराई से जानें। उतना ही जरूरी यह भी है कि अपने विरोधी राजनीतिक दलों के बारे में भी जानें ताकि उनको तार्किक जवाब देकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले प्रिंट मीडिया पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है ताकि मीडिया की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मसलन प्रेस को भेजी जाने वाली सामग्री बिल्कुल तथ्य पर आधारित हो, कम शब्दों में हो, प्रेस विज्ञप्ति बनाते

समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का अभ्यास जरूरी है। पत्रकार वार्ता करते समय सभी छोटे–बड़े मीडिया संस्थानों के साथ ही टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को सही सूचना और पत्रकार वार्ता में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि ऐसा कर सके तो मानिए आपका आधा काम हो गया।

पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें

यह भी सुनिश्चत करें कि सभी पत्रकारों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो वीजुअल्स, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि समय पर पहुँच जाए। जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर यह काम बेहद जरूरी है। समाचार चैनलों से बातचीत करते समय अति सावधानी की जरूरत है। ऑफ दि रिकॉर्ड तो कतई बात नहीं करनी चाहिए। बातचीत करते समय पार्टी लाइन का अवश्य ध्यान रखें। व्यक्तिगत विचार जैसा कुछ भी न बात करें। चैनल पर शब्दों का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतें। सजीव प्रसारण (लाइव) में तो अति सतर्कता की जरूरत है। उत्तेजित तो कतई न हों। पूरे आत्मविश्वास से बात करें। मीडिया का सहयोग पाने के लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको क्या कहना है, उतना ही जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि क्या नहीं कहना है। इस मामले में पत्रकारों या मीडिया संस्थानों से परिचय या दोस्ती बहुत लाभकारी होती है। पत्रकार को मोबाइल नंबर, घर का नंबर, ई मेल आदि बेहिचक दे दें। सदैव मीडिया के साथ हमारा सौहार्द बना रहे, इसकी हर कोशिश करनी होगी।

तथ्यों पर ध्यान दें

सामान्य रूप से पत्रकार तथ्यों की खोज में रहता है। लिहाजा इस आदत का आप लाभ ले सकते हैं। अपनी पार्टी के बारे में सभी सकारात्मक सूचनाएँ सही और तथ्यों के साथ उनको उपलब्ध करा

सकते हैं। इससे संबंधित पत्रकार के साथ आपके निजी रिश्ते भी मजबूत होंगे। आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें। सरकारी रिकॉर्ड को संजोकर रखें। केंद्र और राज्यों द्वारा समय-समय पर जारी विषय विशेष पर रिपोर्टें, संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट पर ध्यान रखें। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने में अधिक से अधिक रुचि रखें। इंटरनेट की मदद सबसे अधिक कारगर होगी लिहाजा उसके माध्यम से हर समय अपने आपको अपडेट रखें। गूगल के नियिमत संपर्क में रहें। आपका काम सरल हो जाएगा। मीडिया में प्रकाश्य सामग्री (कंटेंट) को 'राजा' (किंग) कहा जाता है। यह जितना मजबूत होगा, आपका समर्थन उतना ही बढ़ेगा और राजनीतिक विस्तार में उतना ही मददगार हो सकता है। इसलिए पार्टी से संबंधित कोई भी विषय चलताऊ तरीके से न लें, उसकी पूरी पृष्ठभूमि समझें, गहराई से अध्ययन करें, फिर उसे मीडिया के सामने परोसें। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपका श्रोता है, कौन पाठक है, कौन आपका लक्ष्य (टारगेट) है।

डिजिटल मीडिया पर करें फोकस

कंटेंट (सामग्री) तैयार करने के लिए एक शोध टीम का भी गठन किया जा सकता है। इस टीम में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में रुचि लेने वाले युवाओं को अवश्य जोड़ें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपका ध्यान हर समय रहना चाहिए। इसके माध्यम से पार्टी और आपकी खुद की छवि देश-विदेश में निखरेगी। सोशल मीडिया जगत में सभी आडियो-वीडियो टूल्स को ट्वीट या पोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टैगिंग आपके लिए एक महत्त्वपूर्ण औजार है जो आपके संदेश को कई गुणा प्रसारित कर सकता है, वीडियो आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो सकता है। ऑनलाइन वीडियो सोशल मीडिया संवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण

माध्यम बन गया है। मानकर चलिए कि फेसबुक जैसी लोकप्रिय फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उपयोग कर अपना संदेश पूरी दुनिया में मुफ्त में पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ ट्वीटर जैसी फ्री माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि वहाँ सधे शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। गूगल या गूगल+ साइट को अपना मित्र बना लें, आपका काम सरल हो जाएगा। इसका उपयोग कर अपने दल की बात को विस्तार से बता सकते हैं। ह्वाट्सएप सुविधा हर एंड्रायड और अन्य स्मार्ट फोन पर उपलब्ध है। संदेश देने का प्रभावी माध्यम है। इसका बहुतायत में इस्तेमाल करें। आपके लिए यू-ट्यूब का इस्तेमाल एक साथ हजारों लोगों से जुड़ने का माध्यम बन सकता है। सोशल मीडिया जनता के बीच अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा है। इसे हमारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने का माध्यम बनाना ही होगा। सोशल मीडिया प्रायः मुफ्त होता है। न्यूनतम लागत में आप अधिकतम लोगों तक पहुँच सकते हैं। कभी-कभी मुख्य मीडिया में आपकी या पार्टी की कवरेज ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसे में आप सोशल मीडिया का उपयोग कर उसकी भरपाई कर सकते हैं। आजकल लोग हर समय ताजा खबरों की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पार्टी के बारे में ताजा समाचार देकर उनकी इस आदत का उपयोग अपने हित में कर सकते हैं।

ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत

मीडिया में स्थान बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी कठिनाई होती है। कारण साफ है। मीडिया की पहुँच अभी गाँवों तक कम है और कार्यकर्ता भी अभी उससे दूर ही रहते हैं। वहाँ अपनी पहुँच बढ़ाने की जरूरत है। त्रिस्तरीय पंचायतों की भूमिका बढ़ने के साथ ही पार्टी का दखल भी वहाँ बढ़ा है। इसलिए कार्यकर्ता अपने को तैयार करें। पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) तीसरी सरकार कही जाती हैं। विकास में उनकी

बड़ी भूमिका होने वाली है। विकास को पटरी पर लाने के लिए मीडिया का सहारा लें। जरूरी है कि जिले से लेकर कस्बों तक फैले मीडिया से जुड़े रिपोर्टरों को निजी तौर पर साधें, उनको महत्त्व दें। भाजपा की विकास योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को उन तक पहुँचाएँ। गाँवों और कस्बों में भी हर हाथ में एंड्रायड फोन हैं, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल मीड़िया भी आपकी पहुँच से बाहर नहीं है।

शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएँ

शहरी निकायों यथा नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में भाजपा का बहुत तेजी से प्रवेश हो रही है। लिहाजा कार्यकर्ता यहाँ भी पूरी गंभीरता से लगें। बढ़ते शहरीकरण के कारण इनका विस्तार होना ही है लिहाजा भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन पर फोकस करने की जरूरत है। शहरी इलाकों में पत्रकार काफी सक्रिय रहते हैं। हमें भी सक्रियता से उनसे संपर्क बनाकर लाभ लेना चाहिए। नुस्खा वही कि उनसे नजी रिश्ते मजबूत करें और अपने तथा अपने दल के बारे में उन्हें अपडेट करते रहें। उनको किसी तरह की जानकारी की जरूरत हो तो तत्काल उपलब्ध कराएं। यहाँ भी सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कारगर होगा। ❍

भारतीय जनता पार्टी
11, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
फोन : 011-23005700, फैक्स : 011-23005787